फर्द अहकाम

ालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

सरोज देवी बनाम सरकार

दमा संख्या / वर्ष : 21 / 2021

स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/01/21	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से एड० श्री किशनलाल ने अन्तर्गत धारा 131, 136 LR Act के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थी की जारी होकर दिनांक 03/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	3/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक/रीडर/2021/58 दिनांक 02.02.21 के द्वारा रिपोर्ट पेश की जो शामिल रहे। पत्रावली दिनांक 5/2/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	5/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 [illegible] रेवेन्यु एक्ट में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 199 रकबा 0.0200 हैक्टेयर। (हस्ताक्षर) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.03.01 14:29:57 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

सरोज वर्मा बनाम सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष : 21 / 2021

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
		के साबिक ख0न0 487/7 व ख0न0 198 रकबा 1.5200 हैक्टेयर के साबिक ख0न0 487/6 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का जापला तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि का हाल सैटलमेंट सन् 2002-2003 में बनाये गये नक्शो व एकीकरण के नक्शों में भारी अन्तर है लगभग प्रत्येक ख0नम्बरों की सीमाओं में एवं मौके में अन्तर है जिससे सीमाओं का मिलान नहीं होता है जिसके कारण सीमाज्ञान नहीं हो पा रहा है सीमाज्ञान नहीं होने पर प्रार्थीगण पुख्ता पत्थरगढ़ी नहीं करवा पा रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमियों की टी0एस0 मशीन के जरिये पीटी सर्वे करवाया गया जिसमें पूर्व नक्शा व वर्तमान नक्शा में अन्तर होने से वर्तमान नक्शे को पूर्व नक्शे अनुसार दुरस्त किये जाने हेतु निवेदन [illegible] पैरोकार सरकार ने अपनी [illegible] में प्रस्तुत प्रस्ताव [illegible] दोहराते हुए कहा [illegible] भूमि के एकीकरण व हाल नक्शा में अन्तर है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित है अतः ख0न0 198, व 199 का सलंग्न नक्शा अनुसार लाल स्याही से दर्शित भाग [illegible]	

Signature Not
Digitally signed by
Meena
Date: 2021.03.01
Reason: SelfAttes

विश्वामित्र मीणा

फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

सरोज वगै० **बनाम** सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष : 21 / 2021

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दुरुस्त किया जाना उचित बताया। उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर विवादित भूमि के वर्तमान नक्शा में व एकीकरण नक्शे में अन्तर होना पाया जाता है इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 LR Act को स्वीकार किया जाना उचित साक्ष्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नायला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के हाल खसरा नं० 199 रकबा 2.0200 हैक्टेयर, जिसके साबिक खसरा नं० 487/1 व खसरा नं० 198 रकबा 1.5200 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नं० 487/6 का वर्तमान नक्शे को पूर्व नक्शे अनुसार दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.03.01 14:29:57 IST
Reason: SelfAttested